

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, प्रयागराज

पत्र संख्या : एफपी/सीएफओ/आई-2/11


दिनांक : 16/05/2020

सेवा में,

मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रयागराज
द्वारा 16/05/2020

विषय: अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया आपके प्राथना पत्र संख्या N.L. दिनांक N.L. के क्रम में मुख्याग्निशमन अधिकारी का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी सिविल लाइन प्रयागराज लाल जी गुप्ता द्वारा कराया गया उनके अनुसार निम्न अग्निशमन व्यवस्था पायी गयी।


1. प्राथमिक अग्नि शमन यन्त्र भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसओ 2190 के अनुसार कार्यशील दशा में पाये गये जिसका निरीक्षण एवं परीक्षण शुल्क राजकीय कोष में जमा करा दिया गया है।
2. भवन ग्राउण्ड तल तथा  का बना है।
3. स्थायी अग्निशमन व्यवस्थाएं जैसे होजरील उपलब्ध/अनुपलब्ध तथा कार्यशील दशा में पाये गये।
4. एग्जिट साइनज पाया गया।
5. अन्य अग्निशमन व्यवस्थाएं कार्यशील एवं सन्तोषजनक दशा में पायी गयी।
6. फायर स्टेशन सिविल लाइन का टेलीफोन नं० 101, 9454418558, 9454418557 अंकित पाया गया।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्निशमन से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है।

1. प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु सेड्यूल बनाया जाय तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाय।
2. भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाय।
3. किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्या कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य है।
4. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाय।
5. प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/ फायर ड्रिल कराई जाये तथा इमरजेंसी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाय इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाय।
6. वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
7. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्मित किया गया नवीनीकरण प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।



Principal
New R. S. J. Public School
Chhatnag Road, Jhusi-Prayagraj


(आर०एस०-मि०)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज